न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:– अशोक कुमार, आर.ए.एस.
राजस्व आवेदन संख्या :– 59/2025
जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2025/88

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थी
मांगीलाल पुत्र केसरीमल जाति जैन निवासी–रेगरपुरा धनजी की ढाणी, बालोतरा तहसील पचपदरा		1.जैसमल पुत्र मगनीराम के वारिसान 1/1.चम्पालाल पुत्र जैसमल 2.केसरीमल पुत्र जैसमल के वारिसान 2/1.शांतिलाल पुत्र केसरीमल 2/2.दिनेशकुमार पुत्र केसरीमल 3.पुखराज पुत्र जैसमल 4.छगनलाल पुत्र जैसमल जाति ओसवाल निवासी बालोतरा तहसील पचपदरा हाल रजत हैण्डलूम कचगार गली हुबली कर्नाटक 5.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पचपदरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति–

1. श्री प्रेमराज पंवार अधिवक्ता प्रार्थी
2. विप्रार्थी अनुपस्थित

आदेश

दिनांक 25/09/2025

1.संक्षिप्त में आवेदन–पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम सूरसिंह का ढाणा तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 1471/640 क्षेत्रफल 2.0477 हैक्टयर भूमि अवस्थित है,जिसमे प्रार्थी का खीमराज गलत नाम दर्ज हो रखा है,जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम मांगीलाल है और मांगीलाल नाम से ही अन्य सरकारी दस्तावेजात बने हुए है,लेकिन विवादित भूमि मे अशुद्व प्रविष्टि होने के कारण प्रार्थी को क्षति हो रही है। अतः प्रार्थी द्वारा विवादित भूमि में दायर अशुद्व नाम प्रविष्टि खीमराज के स्थान पर सही नाम मांगीलाल इन्द्राज करवानें हेतु आवेदन–पत्र पेश किया गया है।

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

2. प्रार्थी का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिए रजिस्ट्री नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थी संख्या 1 से 4 बावजूद नोटिस तामीली के उपस्थित नही होने के कारण एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई। विप्रार्थी संख्या 05 की ओर से जवाब पेश किया गया। वक्त बहस विप्रार्थी संख्या 05 अनुपस्थित रहे।

3.हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने आवेदन–पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम सूरसिंह का ढाणा तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 1471/640 क्षेत्रफल 2.0477 हैक्टयर भूमि अवस्थित है,जिसमें प्रार्थी का 1/2 हिस्सा है। विवादित आराजी में प्रार्थी का अशुद्ध नाम खीमराज दर्ज हो रखा है,जो एक एरर एपिरेन्ट ऑन द फेस ऑफ रेकर्ड है,जो कि एक लिपिकीय त्रुटिवंश दर्ज हो रखा है,जबकि अन्य सरकारी दस्तावेजात में प्रार्थी का वास्तविक नाम मांगीलाल दर्ज है,लेकिन विवादित आराजी में प्रार्थी का अशुद्ध नाम इन्द्राज होने के कारण प्रार्थी को किसी प्रकार की सरकारी योजनाओं का परिलाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। विवादित आराजी में प्रार्थी के गलत नाम इन्द्राज होने के कारण अपूरणीय क्षति हो रही है। अन्तः में निवेदन किया कि प्रार्थी का आवेदन–पत्र स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी में अशुद्ध नाम खीमराज के स्थान पर सही नाम प्रविष्टि मांगीलाल इन्द्राज किए जाने के आदेश किए जावें।

4.हमने प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड व दस्तावेजात एवं जवाब का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा तथ्यों का विधि के परिप्रेक्ष्य मे विवेचन किया। जिसमें पाया कि ग्राम सुरसिंह का ढाणा तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 1471/640 क्षेत्रफल 2.0477 हैक्टयर भूमि खीमराज पुत्र केसरीमल व जेसमल पुत्र मगनीराम जाति ओसवाल सा.बालोतरा खातेदार की संयुक्त खातेदारी मे अवस्थित है। प्रार्थी विवादित आराजी में दर्ज खीमराज पुत्र केसरीमल के स्थान पर मांगीलाल पुत्र केसरीमल दुरूस्त करवाने का अनुतोष चाहा गया है। आधारकार्ड प्रति, पेनकार्ड प्रति व जन आधारकार्ड प्रति मे मांगीलाल पुत्र केशरीमल नाम अंकन है,लेकिन उक्त दस्तावेजात से यह साबित नही होता है कि प्रार्थी का विवादित भूमि मे दर्ज नाम अशुद्व अंकन हो रखा हो। इसके लिए अन्य राजस्व रेकर्ड पेश किए जाना चाहिए,जिससे साबित होता है कि प्रार्थी का विवादित भूमि मे अशुद्व नाम दर्ज हो रखा हो,लेकिन ऐसा रेकर्ड प्रार्थी द्वारा पेश नही किया गया है। इसके अलावा वोटरकार्ड मे प्रार्थी का नाम बुरड़ खेमराज अंकन हो। हल्का पटवारी जागसा द्वारा अपनी रिपोर्ट मे खेमराज व मांगीलाल एक ही व्यक्ति होना अंकन किया है,लेकिन इसके समर्थन मे हल्का पटवारी जागसा द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य सबूत पेश नही किया,जिससे साबित होता हो कि मांगीलाल व खेमराज एक

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

ही व्यक्ति हो। केवलमात्र लिखने से तथ्यो को बल नही मिलता है। इस प्रकार हल्का पटवारी जागसा की रिपोर्ट को भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा द्वारा अग्रिम न्यायालय हाजा को रिपोर्ट पेश की गई,जो कि अपने आप मे रिपोर्ट को विधि सम्मत नही माना जा सकता है,क्योकि भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा का उत्तरदायित्व बनता है कि ऐसे प्रकरण मे स्वंय मौका मुआयना करते हुए समग्र तथ्यो की जांच करने के उपरांत तथ्यात्मक प्रतिवेदन पेश करे,लेकिन हस्तगत प्रकरण मे भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा द्वारा ऐसा नही किया गया। इस प्रकार भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा की रिपोर्ट अपने आप मे विधि सम्मत नही मानी जा सकती। इस प्रकार यह प्रकरण नाम दुरूस्ती का बनता नही है,क्योकि धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत दौराने रेकर्ड संधारण में कोई त्रुटि हुई है,तो दुरूस्ती की जा सकती है,लेकिन हस्तगत प्रकरण में ऐसा कोई मामला नहीं बनता है,क्योकि प्रार्थी द्वारा ऐसा रेकर्ड पेश नही किया,जिससे प्रतीत होता हो कि दौराने रेकर्ड संधारण के प्रार्थी का नाम अशुद्व अंकन किया गया हो। इस प्रकार प्रार्थी हस्तगत प्रकरण के जरिए राहत प्राप्त नहीं कर सकती है। इसके अलावा विषयक भूमि के संबध मे प्रार्थी एवं विप्रार्थी संख्या 1 से 4 के विरूद्व माननीय न्यायालय जिला न्यायाधीश बालोतरा मे दीवानी वाद विचाराधीन चल रहा है,जिसमे विवादित भूमि पर स्थगन आदेश भी पारित किया गया है,जो कि पत्रावली के संलग्न स्थगन आदेश की छायाप्रति अवलोकन से स्पष्ट है। उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पंहुचा है कि प्रार्थी अपने आवेदन को साबित करने मे पूर्णतया असफल रहा है। ऐसी सूरत मे प्रार्थी का आवेदन सारहीन तथ्यो के आधार पर होने के कारण खारिज योग्य है।

–:आदेश:–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थी का आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 सारहीन तथ्यो के आधार पर होने के कारण खारिज किया जाता है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा
25/09/25

आदेश आज दिनांक 25/09/25 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा
25/09/25